राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान, जयपुर

(राजस्थान झील विकास प्राधिकरण)

क्रमांकः प.8 (झील) ( )/डीएलबी/24/90

दिनांकः– 23/01/2025

सार्वजनिक सूचना

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 की धारा 4 व 5 के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक प.8 (झील) ( ) डीएलबी/24/7366 एवं 7367 दिनांक 14.11.2025 जारी की जाकर नक्की झील (सिरोही) की सीमाओं तथा संरक्षित क्षेत्र में स्थित ग्राम शनि गांव तहसील देलदर जिला सिरोही के अधिसूचना में अंकित खसरा संख्या को झील की सीमा तथा संरक्षित क्षेत्र मे सम्मिलित किया गया है एवं अधिसूचनाओं का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 17.11.2025 में किया गया है।

उक्त अधिसूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति को अपनी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना है तो सूचना के प्रकाशन के दो माह के अन्दर आयुक्त एवं शासन सचिब, स्थानीय निकाय विभाग, भूखण्ड संख्या जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर को प्रस्तुत कर सकता है।

अधिसूचना व मानचित्र जिला कलक्टर, सिरोही तथा आयुक्त नगर परिषद् सिरोही के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को उपस्थित होकर देखा जा सकता है तथा उक्त अधिसूचना स्थानीय निकाय विभाग को वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।

(कुमार पाल गौतम)
आयुक्त एंव शासन सचिव
तथा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज.झील विकास प्राधिकरण

क्रमांकः प.8(झील) ( )/डीएलबी/2024/91–99

दिनांकः– 23/01/2025

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
02. निजी सचिव, आयुक्त एंव शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
03. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय झील सरक्षण एवं विकास समिति सिरोही।
04. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
05. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन दो प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में शीघ्र करवाने की कार्यवाही करावें।
06. संयुक्त निदेशक कम सिस्टम एनालिस्ट, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड़ करावें।
07. कॉर्डिनेटर, सी.एम.ए.आर., निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संक्षित विज्ञप्ति को सम्बन्धित साईट पर अविलम्ब अपलोड़ करावें।
08. आयुक्त नगर परिषद् एवं सदस्य सचिव जिला स्तरीय झील सरक्षंण एवं विकास समिति सिरोही को भेजकर लेख है कि उक्त प्रकाशित सार्वजनिक सूचना का भुगतान नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित करे।

आयुक्त एंव शासन सचिव
तथा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज.झील विकास प्राधिकरण